FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर

मुकाम : दौसा

रफीका बेगम बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) रा0रा0अधि0 नम्बर– 155 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.2025	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) के तहत खसरा नंबर 1353 अवार्ड दिनांक 12.4.2018 में वाणिज्यिक दर से मुआवजा दिलवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी ने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3 एच 4 के अंतर्गत रैफरेन्स प्रिसीपल सिविल कोर्ट दौसा में प्रस्तुत किया था जिसे जिला न्यायालय ने दिनांक 31.7.2024 को वापस रैफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु लौटा दिया है लेकिन अभी तक भी भूमि अवाप्ति अधिकारी ने पुनः रैफरेन्स न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अभी तक रैफरेन्स प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्रार्थी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पुनः रैफरेन्स प्रस्तुत करने पर नये सिरे से मध्यस्थ प्रार्थना पत्र अवार्ड राशि वाणिज्यिक दर से दिलवाये जाने का अन्य तथ्यों के बारे में प्रस्तुत करेंगे। इसलिए फिलहाल जो प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष लंबित है उसे वापस लेने की अनुमति के साथ दूसरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर निवेदन है कि श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र को वापिस लनेने की अनुमति प्रदान कर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जिला न्यायालय के अदेशानुसार दोबार से रैफरेन्स प्रस्तुत करने पर पुनः मध्यस्थ प्रार्थना पत्र वाणिज्यिक दर से राशि दिलवाने बाबत प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व राजकीय अधिवक्ता ने विचाराधीन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) रा0राजमार्ग अधिनियम को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए प्रार्थना पत्र विड्रॉ किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस लिबर्टी के साथ विड्रॉ किये जाने की अनुमति दी जाती है कि प्रार्थी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा रैफरेन्स प्रस्तुत करने पर पुनः प्रार्थना प[illegible] करने [illegible] स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Devendra Kumar Date: 2025.10.01 11:44:36 IST Reason: SelfAttested सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official जिला कलक्टर दौसा	